



2026:AHC:68182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5572 वर्ष 2026

विशाल @ शुभनित त्रिवेदी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष कुमार, प्रभाकर द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रभाकर द्विवेदी और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक विशाल @ शुभनित त्रिवेदी की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में दर्ज अपराध संख्या-26 वर्ष 2024 की धारा 344, 420, 467, 468, 471 भन्धवि० और टेनचनोलॉजी अधिनियम की सूचना 66डी के तहत उन्हें ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को मौके पर ही गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसका नाम केवल सह-आरोपी जैनेंद्र, गजेंद्र सिंह और संजीव कुमार @ सानी के इकबालिया बयानों में सामने आया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे से तीन मोबाइल फोन, दो एटीएम कार्ड, जाली बिल और वाउचर, एक पैन कार्ड और 87,000/- रुपये कथित तौर पर बरामद किए गए हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास है, जिसे आवेदन में विधिवत समझाया गया है। आवेदक 30.12.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त सह-आरोपी व्यक्तियों के इकबालिया बयानों में आवेदक की संलिप्तता का खुलासा किया गया है। आगे यह कहा गया है कि आवेदक साइबर धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए सह-आरोपी को खाता संख्या, चेक बुक और ए.टी.एम. कार्ड प्रदान करता था।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद होने का आरोप नहीं है। आवेदक का नाम केवल गिरफ्तार सह-अभियुक्तों, अर्थात् जैनेंद्र, संजीव कुमार @ सानी और गजेंद्र सिंह के इकबालिया बयानों में सामने आया है, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-20984 वर्ष 2024, 23055 वर्ष 2024 और 20685 वर्ष 2024 में पारित आदेशों द्वारा जमानत पर पहले ही रिहा कर दिया गया है। आवेदक 30.12.2025 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- विशाल @ शुभमित त्रिवेदी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)